न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 17/2018 दायरा दिनांक : 16.02.2018

उनवान

1– रामनारायण पुत्र श्री बसन्ती लाल, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– गोवर्धन उर्फ गोरधन पुत्र श्री बसन्ती लाल, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– केवल चन्द पुत्र श्री बसन्ती लाल, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4– रामगोपाल पुत्र श्री बसन्ती लाल, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बालमुकन्द पुत्र नानूराम, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– प्रकाश चन्द पुत्र भैरूलाल, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– जुगल किशोर पुत्र प्रकाश चन्द, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4– मुरली पुत्र प्रकाश चन्द, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

5– चांदमल पुत्र प्रकाश चन्द, जाति कुल्मी, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन,

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बच्चू लाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेश पाटीदार अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.09.2023**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 244/प्रार्थना–पत्र/2014 निर्णय दिनांक 29.11.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 39 रूल्स 1 व 2 तथा धारा 151 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 156 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 179/776 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 248 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 रकबा

8 बिस्वा, खसरा नम्बर 251 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 260 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 281 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा बीड, खसरा नम्बर 502 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 558 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 23 कुल रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम समराई, तहसील झालरापाटन प्रार्थीगण के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की है। इस आराजी में विवाद खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाली आराजी का है।

3. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के निर्णय दिनांक 29.11.2017 के अनुसार पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में हो और उसे अपूरणीयक्षति हो (राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 225 की धारा 212 की शर्तें) । प्रार्थना पत्र के सन्देहास्पद साबित होने एवं पर्याप्त दस्तावेजों जो कि शर्तों को पूर्ण करें के अभाव में एवं गुणावगुण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

4. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून व दस्तावेज पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य व न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया है कि वाद के संग पेश किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वाद का भाग होता है तथा प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व वाद के अभिवचन व दस्तावेजों का अवलोकन करना भी न्याय की दृष्टि से आवश्यक है जो नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र संदेहास्पद है। अपीलांट अपने खाते व कब्जे की आराजी के संबंध में ही अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है जो जारी की जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना व अस्थिर मन वाला है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने अपने खाते की आराजी का नक्शा ट्रेस पेश किया है जिससे सारी स्थिति एकदम स्पष्ट है अपीलांट की आराजी आम रास्ते से लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया है कि रेस्पोडेंट की ओर से बहस की दिनांक को कोई उपस्थित नहीं था। अतः रेस्पोडेंट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था। अपीलांट अपना केस प्रथम दृष्टया साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं तथा अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने की स्थिति में अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि सुविधा का संतुलन भी अपीलांट्स के पक्ष में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 29.11.2017 अपास्त किया जावे।

5. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6. हमने बहस अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि वाके ग्राम समराई तहसील झालरापाटन में प्रार्थीगण के संयुक्त खाते, कब्जे व काश्त की कुल खसरा 23 कुल

रकबा 32 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है। इस आराजी में विवाद खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाली आराजी का है। आराजी खसरा नम्बर 498 की पूर्वी मेड से सी0सी0 रोड़ लगा हुआ है तथा पश्चिम में अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की आराजी है। यह कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का आराजी खसरा नम्बर 498 से कोई लेना–देना नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण की यह मंशा है कि वे उनके खाते की आराजीयात की आड़ में खसरा नम्बर 498 पर भी कब्जा कर ले तथा इस आराजी को अपनी आराजी में मिला ले तथा प्रार्थीगण को आराजी का उपयोग व उपभोग नहीं करने दे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 498 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में बेजा मदाखलत मजाहमत नहीं करें, ना ऐसा किसी दीगर व्यक्ति से करावें तथा आराजी पर तार–फैसिंग व बाउण्ड्रीवाल बनाने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें। वादी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.11.2017 को निर्णय पारित कर वादी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज करते हुए यह कथन किया कि बाद अवलोकन पत्रावली में दृष्टिगोचर हुआ प्रार्थना पत्र में कई जगह उपरिलेखन एवं सफेदा लगा हुआ है जिससे प्रार्थना पत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। साथ ही सलंग्न दस्तावेजों की प्रति ना तो सत्यापित है और ना ही स्वप्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय का कथन सत्य होना पाया गया, परन्तु यह प्रार्थना पत्र को खारिज करने का विधिक आधार नहीं माना जा सकता । क्योंकि विधिक प्रावधानों के तहत यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद या प्रार्थना पत्र में कोई लिपिकीय या दस्तावेजों की कमी पाई जावे तो न्याय हित में प्रार्थी को ऐसी कमियों की पूर्ति करने हेतु आदेशित करते हुए अवसर प्रदान करना चाहिए । बाद सूचना पर्याप्त अवसर व समय प्रदान करने के बावजूद भी यदि प्रार्थी कमियों की पूर्ति करने में असफल रहता है तो न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर सकता है। विचाराधीन अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट को प्रार्थना पत्र की कमियों की पूर्ति करने हेतु अवसर देना नहीं पाया जाता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रार्थी अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में दिनांक 24.11.2023 को उपस्थित होवें।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा